International Journal of Applied Research 2015; 1(9): 10-15

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2015; 1(9): 10-15
www.allresearchjournal.com
Received: 06-06-2015
Accepted: 09-07-2015

Dr. Pardeep Singh Dehal
Assistant Professor, Deptt.of Education, ICDEOL HPU Shimla-5

Correspondence:
Dr. Sanjeet Kumar Tiwari
Assistant ProfessorSchool of Education, MATS University, Aarang, Raipur (C.G)

lekosf'kr f'k{kk ds izfr egkfo|ky;h fo|kfFkZ;ksa dh vfHko`fRr dk mudh tukafddh; o 'kSf{kd pjksa ds lEcU/k esa ,d v/;;u

Pardeep Singh Dehal

प्राचीन भारत में शिक्षा की एक व्यवस्थित प्रक्रिया थी, जिसे आश्रम व्यवस्था के नाम से जाना जाता था। जिसका उद्देश्य ज्ञान के प्रकाश को बढ़ाना था। उस समय ज्ञान का प्रमुख अर्थ आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाना था। इसका उद्देश्य आध्यात्मिक समस्याओं का समाधान करना था। शंकराचार्य ने कहा – 'सा विद्या या विमुक्तये' अर्थात् विद्या वह है जो मुक्ति दिलाये। यहाँ पर शंकराचार्य ने विशेष रूप से आध्यात्मिकता से मुक्ति की बात की थी। परन्तु आश्रम व्यवस्था कुछ लोगों तक ही सीमित थी और शिक्षा सभी व्यक्तियों को सुलभ नहीं थी। शिक्षा की यह व्यवस्था भारत के स्वतन्त्रता प्राप्ति तक ऐसे ही चलती रही। स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय ही इस बात की आवश्यकता महसूस की गयी कि अगर देश में शिक्षा व्यवस्था सभी को प्राप्त होती तो भारत को इतने वर्षो तक गुलाम नहीं रहना पड़ता। शिक्षा ही हमारी समस्याओं को सुलझाती है एवं हमारे जीवन को सुसंस्कृत बनाती है। भारतीय भाषाओं में शब्दों के पर्यायवाची के रूप में विद्या तथा ज्ञान शब्दों का प्रयोग किया जाता है। विद्या शब्द का उद्गम भी विद् धातु से हुआ है, जिसका अर्थ होता है 'जानना', 'पता लगाना' अथवा 'सीखना'। समावेशित शिक्षा का मतलब है कि एक विद्यालय के सभी छात्रों को (सामान्य छात्र तथा विकलांग) एक साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा प्रदान किया जाये ताकि सभी छात्रों व शिक्षकों में अपनेपन की भावना का विकास हो। विकलांग अधिनियम–1977 में यह संशोधन किया गया कि प्रत्येक स्कूलों में सामान्य बालकों के साथ विकलांग बालकों को शिक्षित किया जाये। अभिवृत्ति का कार्य ऐसे वातावरण में होता है, जिसका निर्धारण बहुत बड़ी सीमा तक छात्रों, अध्यापकों, प्रशासकों, माता–पिता और स्कूल बोर्ड के सदस्यों की अभिवृत्तियों, रूचियों और अनेक मूल्यों द्वारा होता है। प्रस्तुत अध्ययन में वर्णनात्मक अनुसंधान में प्रयोग की जाने वाली सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोध समस्या को दृष्टिगत रखते हुए अध्ययन को शुद्ध, सरल एवं मितव्ययी बनाने के लिए शोधकर्ता ने यादृच्छिक न्यायदर्श विधि का चयन किया है। महाविद्यालयी विद्यार्थियों का समावेशित शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति मापने के लिए शोधकर्ता द्वारा स्वयं अभिवृत्ति मापनी का विकास किया गया। अव्यवहारिक आँकड़ों को सुबोध एवं ग्राह्य बनाने के लिये शोधकर्ता ने प्रस्तुत अध्ययन में निम्न सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया है–
(1) मध्यमान
(2) प्रमाणिक विचलन
(3) मध्यमानों में अन्तर की सार्थकता

iLrkouk&औपचारिक रूप से बालक शिक्षा अपने माता–पिता की गोद, घर–परिवार, व समाज से प्राप्त करता है, जो बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक नहीं होती है। अतः बालक के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए शिक्षा को औपचारिक रूप में प्रस्तुत किया गया। यह शिक्षा प्रमुख रूप से विद्यालयों में दी जाने लगी। औपचारिक शिक्षा को कई भागों में बाँटा गया है–

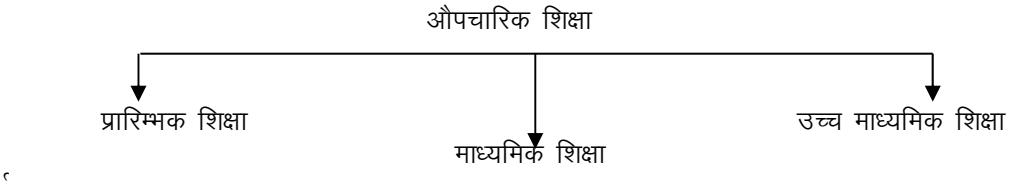

आजादी से पूर्व भारत में अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों ने भारतीयों की शिक्षा व्यवस्था पर कोइध्यान नहीं दिया परन्तु स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत में शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए भारत सरकार द्वारा समय–समय पर अनेक प्रयास किये गये। शिक्षा वह प्रकाश है जिसके द्वारा बालक की समस्त शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों का विकास होता है। इससे वह समाज का एक उत्तरदायी घटक एवं राष्ट्र का प्रखर चरित्र सम्पन्न नागरिक बनकर समाज की सर्वांगीण उन्नति में अपनी शक्ति का उत्तरोत्तर प्रयोग करने की भावना से ओत–प्रोत होकर संस्कृति तथा सभ्यता को पुनर्जीवित एवं पुर्नस्थापित करने के लिए प्रेरित हो जाता है।

'अमरकोश' में शिक्षा शब्द का प्रयोग षड् वेदांगों में से एक वेदांग के लिए प्रयुक्त हुआ है। उस समय शिक्षा–शास्त्र का प्रयोजन वेदों की ऋचाओं का शुद्ध उच्चारण सिखाना था। कदाचित उस युग में वेदों का पठन–पाठन ही शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य रहा होगा। अतः शिक्षा शब्द स्वर शास्त्र के लिए रूढ़ बन गया।

शिक्षा को आंग्ल भाषा में एजूकेशन (Education) कहते हैं।

रघुवंश में शिक्षा शब्द का इन दोनों ही अर्थो में प्रयोग हुआ ह

^^f'k{k0;kfn Jrjxekdkj i.kok lekA
bfrgkl ijoŸkenkŸkk ?kl;% Lojk%AA

भारतीय दर्शनों में ज्ञान शब्द वही अर्थ रखता है जो व्यापक अर्थो में 'शिक्षा' का होता है। भारतीय दर्शनों में केवल सूचना अथवा तथ्यों के लिए 'ज्ञान' तथा विज्ञान शब्दों का अन्तर स्पष्ट करते हुए कहा गया कि ज्ञान का विषय मुक्ति है। जबकि विज्ञान का शिल्प और विविध शास्त्र।

शिक्षा एक ऐसी क्रिया अथवा प्रयास है जिसमें मानव समाज के अधिक परिपक्व लोग, न्यून परिपक्व व्यक्तियों की अधिकाधिक परिपक्वता के लिए प्रयास करते हैं तथा इस प्रकार मानव जीवन को अच्छा बनाने में योगदान करते हैं।

ldjkr & ''शिक्षा का अर्थ है प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप से विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना।''

शिक्षा के विभिन्न अर्थो के आधारों तथा परिभाषाओं पर प्रकाश डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा एक सापेक्ष, चेतन अथवा अचेतन मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, वैज्ञानिक एवं दार्शनिक वातावरण सम्बन्धी प्रक्रिया है।

शिक्षक, पाठ्यक्रम तथा शिक्षण पद्धति की दृष्टि से शिक्षा के निम्नलिखित रूप हैं–

vkipkfjd rFkk vukipkfjd f'k{kk
iR;{k rFkk viR;{k f'k{kk
O;fDrxr o lkefgd f'k{kk
lkekU; rFkk fof'k"V f'k{kk

lekof'kr f'k{kk&समावेशित शिक्षा का मतलब है कि एक विद्यालय के सभी छात्रों को (सामान्य छात्र तथा विकलांग) एक साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा प्रदान किया जाये ताकि सभी छात्रों व शिक्षकों में अपनेपन की भावना का विकास हो। विकलांग अधिनियम–1977 में यह संशोधन किया गया कि प्रत्येक स्कूलों में सामान्य बालकों के साथ विकलांग बालकों को शिक्षित किया जाये।

समावेशी शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षकों का विचार है कि यह शिक्षा छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के सहयोग पर आधारित है। यह अच्छे शिक्षण के रूप में तेजी से उभरा है। इसमें पढ़ाने वाले शिक्षक के पास सभी प्रकार के अवसर रहते हैं। वह विभिन्न प्रकार की योग्यता व क्षमता रखने वाले बच्चों के विकास में पर्याप्त योगदान दे सकता है। समावेशित शिक्षा सभी प्रकार के बच्चों को एक सामान्य विद्यालय की एक कक्षा में एक साथ शिक्षा प्रदान करने की अवधारणा पर आधारित है।

Mk0 efyl gLVu&''समावेशी शिक्षा की धारणा है कि लगभग सभी छात्रों की शिक्षा एक आम कक्षा में शुरू हो। समावेशी शिक्षा के विभिन्न तरीकों से सभी छात्रों के विकास में मदद मिलती है। इसमें पढ़ाने वाले शिक्षकों को विशेष चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह छात्रों के सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास तथा गत्यात्मक विकास को विकसित करने में सक्षम है।''

''एक अच्छा शिक्षण दो लोगों के बीच सद्भावना पूर्ण सम्बन्ध स्थापित करता है। समावेशित शिक्षा स्कूली बच्चों को सीखने के लिए अधिक विकल्प प्रदान कर रहा है। यह एक ऐसी शैक्षिक संरचना का निर्माण है जिसमें सभी प्रकार के बच्चे सीख सकते हैं।

हमारे संविधान में अनिवार्य और निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा सभी को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में बहुत से स्थानों पर जोर दिया गया है। सर्वप्रथम नीति–निर्देशक तत्व के रूप में प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण की बात कही गयी। प्रारम्भिक शिक्षा सभी को उपलब्ध कराने के लिए भारतीय संविधान में निम्न प्रावधान किया गया हैः–

vuPNsn&25

14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी फैक्टरी, खाद्यान्न या अन्य खतरनाक स्थानों पर काम करने पर रोक। इस अनुच्छेद का मकसद परिलक्षित होता है कि सभी बच्चे अनिवार्य रूप से स्कूल जाये।

vuPNsn&45

अनुच्छेद–45 केन्द्र व सभी राज्य सरकारों को ऐसी नीति बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश देता है जिससे कि संविधान लागू होने के 10 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा निःशुल्क व अनिवार्य बनाने के लिए नीति बनायें। यह लक्ष्य संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर प्राप्त किया जाना था, परन्तु इस लक्ष्य को प्राप्त करने की समयावधि समय–समय पर कई बार बढ़ी।

vuPNsn&28

यह अनुच्छेद धार्मिक स्वतन्त्रता का आश्वासन देता है अर्थात् कोई भी शैक्षिक संस्थान किसी भी प्रकार का धार्मिक निर्देश नहीं दे सकती जो पूर्णतः राज्य द्वारा पोषित हो।

vuPNsn&29 ¼i½

भारत के किसी भी भाग का व्यक्ति या नागरिक अपनी इच्छा के अनुसार भाषा व संस्कृति को अपना सकता है।

vuPNsn&29 ¼ii½

सरकार द्वारा अनुदानित कोई भी शैक्षिक संस्था किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, भाषा, प्रजाति के आधार पर प्रवेश देने से मना नहीं कर सकती।

vuPNsn&30

सभी अल्पसंख्यकों (धर्म या भाषा के आधार पर) को अपनी पसंद से शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और प्रशासित करने का अधिकार प्रदान करती है।

vuPNsn&30 ¼ii½

कोई भी सरकार अनुदान देते समय ऐसे अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों व अन्य संस्थानों के बीच धर्म या भाषा के आधार पर विभेद नहीं कर सकती।

vuPNsn&350 ¼A½
सरकार और स्थानीय स्वायत्त संस्थाएँ ऐसा प्रयास करेंगी कि प्राथमिक स्तर पर सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा व्यवस्था सुलभ बनाने का पर्याप्त प्रयास करेगी।

जब से मानव सभ्यता का सूर्य उदय हुआ है तभी से भारत अपनी शिक्षा–दर्शन के लिए प्रसिद्ध रहा है। यह सब भारतीय शिक्षा के उद्देश्यों का चमत्कार है कि भारतीय संसकृति ने संसार का सदैव पथ–प्रदर्शन किया और आज भी जीवित है। वर्तमान युग में भी महान दार्शनिक और शिक्षाशास्त्री इसी बात का प्रयास कर रहे हैं कि शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार से की जाए कि हमारी संस्कृति निरन्तर विकसित होती रहे। देश के जन–जन तक शिक्षा पहुँच जाय, कोई भी बालक अशिक्षा व अज्ञानता के अँधेरे में न रहे।

egkfo|ky;h fo|kFkhZ&महाविद्यालयी विद्यार्थी से तात्पर्य उन छात्रों से है जो विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा ग्रहण करते हैं। प्रस्तुत शोध में बी.सी.ए., एम.सी.ए. तथा बी.एड. व एम.एड. के छात्रों को सम्मिलित किया गया है।

tukaddh;&जननांकीय से तात्पर्य लिंग व आयु से है। इस शोध हेतु लिंग को (पुरुष/महिला) आधार बनाया गया है।

'kSf{kd&शैक्षिक से यहाँ तात्पर्य विभिन्न अनुशासन के छात्रों से है। इस शोध में न्यायदर्श हेतु कम्प्यूटर साइंस (बी.सी.ए., एम.सी.ए.) व शिक्षा शास्त्र (बी.एड., एम.एड.) छात्रों को सम्मिलित किया गया है।

lekosf'kr f'k{kk&''समावेशित शिक्षा सभी प्रकार के बच्चों को एक सामान्य विद्यालय की एक कक्षा में एक साथ शिक्षा प्रदान करने की अवधारणा पर आधारित है।''

समावेशित शिक्षा की धारणा है कि लगभग सभी छात्रों की शिक्षा एक आम कक्षा में शुरू हो। समावेशी शिक्षा के विभिन्न तरीकों से सभी छात्रों के विकास में मदद मिलती है। इसमें पढ़ाने वाले शिक्षकों को विशेष चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह छात्रों के सामाजिक विकास, सृजनात्मक तथा गत्यात्मक विकास को विकसित करती है।

National Study of Inclusive Education, New York Author के अनुसार–

"Providing to all students, including those with significant disabilities, equitable opportunities to receive effective educational services, with the needed supplementary aids and supports services in age appropriate classrooms in their neighborhood school, in order to prepare student for productive lives as full members of society."

अभिवृत्ति किसी घटना या व्यक्ति के प्रति आन्तरिक अनुभूति तथा विश्वास है। अभिवृत्ति का मापन कठिन है। अभिवृत्ति का कार्य ऐसे वातावरण में होता है, जिसका निर्धारण बहुत बड़ी सीमा तक छात्रों, अध्यापकों, प्रशासकों, माता–पिता और स्कूल बोर्ड के सदस्यों की अभिवृत्तियों, रूचियों और अनेक मूल्यों द्वारा होता है। बालक की तत्परता से इस वातावरण में उसकी ग्रहण शक्ति निर्धारित होती है और अध्यापक तथा अन्य लोग जिनके विशिष्ट पूर्वाग्रह होते है। शिक्षण प्रक्रिया की सामग्री तथा कार्य विधियाँ निर्धारित करते हैं। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति के विकास को इस तरह प्रभावित करना होता है कि उसमें जीवन की विविध परिस्थितियों का सामना करने के लिए शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक तथा संवेगात्मक तत्परता के वैयक्तिक गुण जब कभी अध्यापक बच्चों के विकास को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं तो उन्हें अनेक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। अभिवृत्ति मापनी को मतावली भी कहते हैं। जॉन डब्ल्यू बेस्ट ने इस सम्बन्ध में कहा कि ''सूचना प्राप्त करने का वह रूप पत्र जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की मापित अभिवृत्ति अथवा विश्वास को जानने का प्रयास किया जाता है। मतावली अथवा अभिवृत्ति मापनी कहते हैं''

v/;;u dk mn~ns';&
1. महाविद्यालयी विद्यार्थियों का समावेशित शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति ज्ञात करना।
2. 2– बी0सी0ए0 के छात्र एवं छात्राओं का समावेशित शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का तुलना करना।
3. 3– एम0सी0ए0 के छात्र एवं छात्राओं का समावेशित शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति की तुलना करना।

ifjdYiuk dk fuek.k&प्रस्तुत शोध समस्या के लिए निराकरणीय परिकल्पना (Null Hypothesis) का निर्माण किया गया है

यह परिकल्पना सांख्यिकीय परिकल्पना का एक प्रकार है। इस शोध समस्या के लिए निम्न परिकल्पना निर्मित की गयी है।
1. बी0सी0ए0 के छात्र एवं छात्राओं का समावेशित शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
2. एम0सी0ए0 के छात्र एवं छात्राओं का समावेशित शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
3. बी0सी0ए0 एवं एम0सी0ए0 के छात्रों एवं छात्राओं का समावेशित शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

leL;k dk lhekdu&प्रस्तुत शोध कार्य का सीमांकन न्यायदर्श, समय, क्षेत्र आदि को ध्यान में रखकर निम्न प्रकार से किया गया–
1. प्रस्तुत अध्ययन में गाजियाबाद जिले के मोदीनगर व दुहाई क्षेत्र के कालेजों को चुना गया है।
2. न्यायदर्श में विश्वविद्यालय (महाविद्यालय) स्तर के छात्रों को सम्मिलित किया गया है।
3. न्यायदर्श के लिए 3 कालेजों के 120 विद्यार्थियों को चुना गया।
4. प्रस्तुत अध्ययन हेतु विभिन्न छात्रों की अभिवृत्ति का पता लगाने के लिए अभिवृत्ति मापनी का प्रयोग किया गया।

'kks/k fof/k
प्रस्तुत अध्ययन में वर्णनात्मक अनुसंधान में प्रयोग की जाने वाली सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

tula[;k ,oa U;kn'kZ dk p;u&प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोध समस्या को दृष्टिगत रखते हुए अध्ययन को शुद्ध, सरल एवं मितव्ययी बनाने के लिए शोधकर्ता ने यादृच्छिक न्यायदर्श विधि का चयन किया है। प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधकर्ता का मुख्य उद्देश्य महाविद्यालयी विद्यार्थियों का समावेशित शिक्षा के प्रति 'अभिवृत्ति' ज्ञात करना है। इसी प्रकार बाबू बनारसी दास टैक्नीकल इंस्टीट्यूट के बी0सी0ए0 के 30 छात्रों व 30 छात्राओं को न्यायदर्श में सम्मिलित किया है। इसी प्रकार 60 एम0सी0ए0 के छात्रों के चुनाव के लिए एच0एल0एम0 कालेज, दुहाई व आर0के0जी0आई0टी0 को सम्मिलित किया गया।

Ø0la0	fo|ky; dk uke	la[;k	
		Nk=	Nk=k,¡
1.	बाबू बनारसीदास इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलोजी, दुहाई, गाजियाबाद।	30	30
2.	एच0एल0एम0 कालेज, दुहाई, गाजियाबाद।	15	15
3.	राजकुमार गोयल इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलोजी, गाजियाबाद।	15	15

'kks/k midj.k dk p;u

महाविद्यालयी विद्यार्थियों का समावेशित शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति मापने के लिए शोधकर्ता द्वारा स्वयं अभिवृत्ति मापनी का विकास किया गया। इस परीक्षण में कुल 30 प्रश्न है। प्रत्येक के सामने 5 विकल्प दिये गए हैं।

परीक्षण को उपकरण के रूप में चुनने का कारण निम्नलिखित हैः–

1. परीक्षण का माध्यम हिन्दी है।
2. परीक्षण को विभिन्न समूहों पर आसानी से प्रशासित किया जा सकता है।
3. परीक्षण की भाषा सरल है, जिससे विद्यार्थियों को समझे में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती।

iznÙk fo'ys"k.k dh fofHkUu lkaf[;dh fof/k;ksa dk p;u

p;u&सांख्यिकी जटिल तथा अस्पष्ट सामग्री को संक्षिप्त एवं वर्गीकृत रूप में व्यक्त करती है। अव्यवहारिक आँकड़ों को सुबोध एवं ग्राह्य बनाने के लिये शोधकर्ता ने प्रस्तुत अध्ययन में निम्न सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया है–

(1) मध्यमान
(2) प्रमाणिक विचलन
(3) मध्यमानों में अन्तर की सार्थकता

iznÙkksa dk lkaf[;dh; fo'ys"k.k ,oa O;k[;k

सांख्यिकीय विश्लेषण में विशेष रूप से मध्यमान, प्रमाणिक विचलन के मान व क्रान्तिक अनुपात की गणना की गयी है। इस लघु शोध कार्य का उद्देश्य महाविद्यालयी विद्यार्थियों का समावेशित शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति ज्ञात करना है।

बी0सी0ए0 के छात्र एवं छात्राओं का समावेशित शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन करने के लिए मध्यमान, प्रमाणिक विचलन, व क्रान्तिक अनुपात ज्ञात किया गया है, जो सारिणी 1 में प्रस्तुत है–

lkfj.kh 1: बी0सी0ए0 के छात्र एवं छात्राओं का समावेशित शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति की तुलना

leg	l[;k	e/;eku	ekud fopyu	ØkfUrd vuikr	lkFkZdrk
छात्र	30	117	2.20	4.47	,,
छात्राएँ	30	111	7.03		

****.05 Lrj ij lkFkZd vUrj gSA**

सारिणी 1 का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि बी.सी.ए. के छात्रों का समावेशित शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का प्राप्तांक 117 है। इसी प्रकार छात्राओं का प्राप्तांक 111 है। उनके मानक विचलन के मान क्रमशः 2.20 व 7.03 हैं। क्रान्तिक अनुपात का मान 4.47 है, जोकि .05 के स्तर पर सार्थक है।

अतः हमारी परिकल्पना ''बी0सी0ए0 के छात्र एवं छात्राओं का समावेशित शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है'', अस्वीकृत होती है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि बी0सी0ए0 के छात्र एवं छात्राओं का समावेशित शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण सामान्य नहीं है। वे इसे व्यक्तित्व व देश के विकास के लिए उचित नहीं मानते। असामान्य स्तर के छात्रों को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा देने से दोनों लाभान्वित नहीं होते। वह शिक्षांश को आत्मसात करने में पर्याप्त समय लेता है। फलतः उसे दी जाने वाली शिक्षा का पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ एवं अन्य व्यवस्थाएँ सामान्य स्तर के बालक को प्राप्त शिक्षा साधनों एवं व्यवस्थाओं से बिल्कुल पृथक और भिन्न होनी चाहिए।

इस प्रकार सामान्य स्तर के सहशिक्षा द्वारा असामान्य बालक लाभान्वित नहीं हो पाते। प्रतिभाशाली अपने क्षमता के अनुरूप कार्य न मिलने के कारण कक्षानुशासन के भंग करने का माध्यम तक बन जाते हैं। इस प्रकार असामान्य बालकों की शिक्षा व्यवस्था अलग होनी चाहिए।

एम0सी0ए0 के छात्र एवं छात्राओं का समावेशित शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन करने के लिए मध्यमान, प्रमाणिक विचलन, व क्रान्तिक अनुपात ज्ञात किया गया है, जो सारिणी 4.4 में प्रस्तुत है–

lkfj.kh 2: एम0सी0ए0 के छात्र एवं छात्राओं का समावेशित शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति की तुलना

leg	l[;k	e/;eku	ekud fopyu	ØkfUrd vuikr	lkFkZdrk
छात्र	30	111	8.30	.40	'
छात्राएँ	30	110	10.92		

***.05 Lrj ij lkFkZd vUrj ugha gSA**

सारिणी 2 का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि एम.सी.ए. के छात्र एव छात्राओं का मध्यमान क्रमशः 111 व 110 है। मानक विचलन 8.30 तथा 10.92 है। इन दोनों समूहों का क्रान्तिक अनुपात .40 है। जोकि विश्वास के किसी भी स्तर पर सार्थक नहीं है। अतः हमारी परिकल्पना ''एम.सी.ए. के छात्र एवं छात्राओं का समावेशित शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है।'', स्वीकृत की जाती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि दोनों समूह के छात्र समावेशित शिक्षा से छात्र के अन्दर नैतिक मूल्यों का विकास होता है। समावेशित शिक्षा के द्वारा हम शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य (4.5) को प्राप्त कर सकते हैं।

बी0सी0ए0 और एम0सी0ए0 के छात्र एवं छात्राओं का समावेशित शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन करने के लिए मध्यमान, प्रमाणिक विचलन, व क्रान्तिक अनुपात ज्ञात किया गया है, जो सारिणी 4.5 में प्रस्तुत है–

lkfj.kh 3: बी0सी0ए0 और एम0सी0ए0 के छात्र एवं छात्राओं का समावेशित शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति की तुलना

leg	l[;k	e/;eku	ekud fopyu	ØkfUrd vuikr	lkFkZdrk
छात्र	30	27.07	4.27	4.59	,,
छात्राएँ	30	33.36	7.04		

****.05 Lrj ij lkFkZd vUrj gSA**

सारिणी 3 को देखने पर ज्ञात होता है कि बी.सी.ए. के विद्यार्थियों के समावेशित शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति के प्राप्तांक का मध्यमान 27. 07 है। इसी प्रकार एम.सी.ए. के छात्रों के प्राप्तांक का मध्यमान 33.36 है। दोनों समूहों के मानक विचलन क्रमशः 4.27 व 7.04 है। उनके क्रान्तिक अनुपात 4.59 है जोकि .05 के स्तर पर सार्थक है। अतः हमारी परिकल्पना बी.सी.ए. व एम.सी.ए. के छात्रों एवं छात्राओं का समावेशित शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं है, अस्वीकृत होती है।

इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि एम.सी.ए. के छात्र समावेशित शिक्षा को देश के विकास तथा मानवाधिकार की दृष्टि से उचित मानते हैं। लेकिन बी.सी.ए. के विद्यार्थी असमर्थ बालकों और सामान्य बालकों की शिक्षा एक वातावरण में सम्पन्न हो, इसे न्यायोचित नहीं मानते। उनके विचार में असमर्थ (विशिष्ट) बालकों की आवश्यकताएँ विशिष्ट होती हैं। अतः उनकी शिक्षा भी विशिष्ट होनी चाहिए। विशिष्ट बालकों के शिक्षा के लिए विशेष वातावरण, विशेष शिक्षक, विशिष्ट शिक्षण पद्धति होनी चाहिए।

fu"d"kZ

प्रस्तुत शोध समस्या ''समावेशित शिक्षा के प्रति महाविद्यालयी विद्यार्थियों के अभिवृत्ति का उनके जनांककीय व शैक्षिक चरों के

सम्बन्ध में एक अध्ययन'' नामक अनुसंधान के अन्तर्गत कुछ उद्देश्य निर्धारित किये गये थे, जिसमें प्रमुख थे – महाविद्यालयी विद्यार्थियों का समावेशित शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति ज्ञात करना कि उनके दृष्टिकोण से यह कहाँ तक उचित है। इससे छात्रों के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? छात्र के अन्दर किन गुणों का विकास होगा? क्या समावेशित शिक्षा क्षमताहीन बालकों में भी राष्ट्रोपयोगी क्षमता उत्पन्न कर सकेगी, जिससे वे राष्ट्र के लिए योग्य नागरिक बन सकें। इस शोध कार्य द्वारा यह भी ज्ञात किया गया कि क्या समावेशित शिक्षा, शिक्षा के सार्वभौमकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। जनतन्त्रवादी देशों में प्रत्येक बालक को प्रगति करने का समान अवसर मिलना ही चाहिए। अतः कम क्षमता वाले असामान्य बालकों को सक्षम एवं राष्ट्रोपयोगी बनाने के लिए सरकार द्वारा समुचित वातावरण तैयार करना चाहिए और उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि असामान्य बालकों में भी ज्ञानार्जन क्षमता का विकास हो सके, उनके अन्दर आत्मविश्वास पैदा हो सके।

इस शोध के द्वारा विभिन्न अनुशासन के विद्यार्थियों की मनोवृत्ति का पता लगाया गया कि क्या समावेशित शिक्षा मानवाधिकार शिक्षा, अखण्ड शिक्षा के दायित्व को पूरी करने में सक्षम है? चूंकि सभी बच्चों का यह अधिकार है कि उन्हें अलग करके शिक्षा न दी जाये अपितु साथ–साथ शिक्षित किया जाय।

इस प्रकार उपरोक्त उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कुछ परिकल्पनाओं का निर्माण किया गया है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से हम अपने शोध के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इनके स्वीकृत तथा अस्वीकृत होने से प्राप्त निष्कर्षो एवं परिणामों पर प्रभाव पड़ता है।

ifjdYiuk & 1
^^ch-lh-,- d Nk= ,o Nk=kvk dk lekosf'kr f'k{kk d ifr vfHkofÙk d e/; dkbZ lkFkd vUrj ugh gA**

इस परिकल्पना का परीक्षण सांख्यिकी प्रविधि के ''दो मध्यमानों के मध्य अन्तर की सार्थकता'' द्वारा किया गया जिसका क्रान्तिक अनुपात 4.47 है। बी.सी.ए. के छात्र एवं छात्राओं के मध्यमान क्रमशः 111 व 117 हैं। इनके प्रमाणिक विचलन क्रमशः 7.03 व 2. 20 हैं। यह परिकल्पना .05 के स्तर पर अस्वीकार की जाती है। इसके अस्वीकृत होने का यह अर्थ है कि बी.सी.ए. के छात्र एवं छात्राओं का समावेशित शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण भिन्न–भिन्न है। छात्राएँ समावेशित शिक्षा को कुशल नागरिकता के निर्माण की दृष्टि से उत्तम मानती हैं। इससे शिक्षक और छात्र के अन्दर मानवीय मूल्यों का विकास हो सकेगा।

जबकि बी.सी.ए. के छात्र समावेशित शिक्षा को उचित नहीं मानते। उनके दृष्टिकोण से विशिष्ट बालकों के लिए अलग से विशिष्ट कक्षाएँ होनी चाहिए। समावेशित शिक्षा से असमर्थ बालकों में आत्मविश्वास की भावना में कमी आने लगेगी। उनके अन्दर नकारात्मक दृष्टिकोण होने लगेंगे। इससे यह स्पष्ट होता है कि बी.सी.ए. की तुलना में एम.सी.ए. के छात्र समावेशित शिक्षा को राष्ट्र के लिए उपयोगी मानते हैं।

ifjdYiuk & 2
^^,e-lh-,- d Nk= ,o Nk=kvk dk lekosf'kr f'k{kk d ifr vfHkofÙk d e/; dkbZ lkFkd vUrj ugh gA**

इस परिकल्पना का परीक्षण सांख्यिकी प्रविधि ''दो मध्यमानों के मध्य अन्तर की सार्थकता'' द्वारा किया गया है। इसमें क्रान्तिक अनुपात .40 है। एम.सी.ए. के छात्र एवं छात्राओं के मध्यमान क्रमशः 111 व 110 हैं। इनके प्रमाणिक विचलन क्रमशः 8.30 व 10.32 हैं। इनके 'टी' मूल्य .40 है। यह 1.96 व 2.58 से काफी कम है। अतः यह परिकल्पना .05 के स्तर पर स्वीकार की जाती है। इस परिकल्पना के स्वीकार करने का अर्थ व्यवसायिक पाठ्यक्रम एम.सी.ए. के छात्र भी समावेशित शिक्षा के प्रति सामान्य दृष्टिकोण रखते हैं। यह शिक्षा कुशल नागरिकता का निर्माण करने में सक्षम है। 'सामान्य; और 'असामान्य; छात्रों को एक कक्षा में लाने से विद्यार्थियों में सहयोग व दया के गुणों का विकास हो सकेगा। विद्यार्थी परस्पर एक–दूसरे की आवश्यकता को समझ सकेंगे। समावेशित शिक्षा असमर्थ छात्रों के अन्दर साहस, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के गुण विकसित करने में सक्षम है। 96 प्रतिशत एम.सी.ए. के छात्रों और 100 प्रतिशत छात्राओं का यह विचार था कि समावेशित शिक्षा प्रत्येक को शिक्षित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक है। समावेशित शिक्षा के द्वारा केवल असमर्थ छात्रों में ही कुशलता नहीं आती अपितु यह सामान्य छात्रों में शैक्षिक कुशलता लाने में सक्षम है।

ifjdYiuk & 3
^^ch-lh-,- vkSj ,e-lh-,- d Nk= ,o Nk=kvk dk lekosf'kr f'k{kk d ifr vfHkofÙk d e/; dkbZ lkFkd vUrj ugh gA**

इस परिकल्पना का परीक्षण क्रान्तिक अनुपात के माध्यम से किया गया है। जिसका मान 4.59 है। यह मान 1.96 तथा 2.58 से काफी अधिक है। इस प्रकार यह परिकल्पना अस्वीकृत हो जाती है और यह कहा जा सकता है कि समावेशित शिक्षा के प्रति बी. सी.ए. और एम.सी.ए. के छात्रों की अभिवृत्ति अलग–अलग है।

lekosf'kr f'k{kk dh mikns;rk

किसी भी जनतांत्रिक राष्ट्र में उसके नागरिक ही सर्वस्व होते हैं। किसी भी देश का भविष्य उसके भावी नागरिकों पर ही निर्भर करता है। भावी नागरिक जितने सक्षम, योग्य और कर्तव्यपरायण होगें, राष्ट्र उतना ही अधिक उन्नति कर सकेगा। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रीय समृद्धि की वृद्धि एवं देश सेवा में अपना पूर्ण योगदान दे। उस देश में जहाँ स्वतन्त्रता जन–जीवन का अंग बन चुकी हो, यह बात और अधिक वांछनीय है कि वह देश नागरिकों की शक्ति का देश की उन्नति में अधिकतम लाभ उठाये, परन्तु यह तभी सम्भव है जब उस देश के नागरिक सक्षम, योग्य और प्रतिभाशाली हों। यदि किसी देश के नागरिकों में योग्यता, क्षमता एवं उन्नति की सामर्थ्य का अभाव है तो राज्य का कर्तव्य है कि वह उन नागरिकों को सक्षम, योग्य और राष्ट्रोपयोगी बनाए। इस दिशा में शिक्षा ही सर्वोत्तम साधन हो सकता है। सभी बालक सामान्य एवं समान क्षमता वाले नहीं होते। कुछ बालक अधिक बुद्धिमान एवं प्रतिभाशाली होते हैं। वे अपनी प्रखर बुद्धि की उत्तमता के कारण साधारण तथा सामान्य बालकों के समान्तर शिक्षा ग्रहण करने से सन्तुष्ट नहीं होते। उनके पाठ्यक्रमों तथा शिक्षा व्यवस्थाओं में सामान्य बालक की शिक्षा व्यवस्था से अधिकता, उत्तमता एवं जटिलता मिलती है। इसी प्रकार से ऐसे बालक जो मन्द बुद्धि वाले, मानसिक व शारीरिक योग्यताओं से वंचित जैसे– अपाहिज, बधिर, अन्धे, रोगी, लंगड़े और अपंग होते हैं, समाज द्वारा, अभिभावक द्वारा व शिक्षक द्वारा उपेक्षित कर दिये जाते हैं। समावेशित शिक्षा इन क्षमताहीन बालकों में भी राष्ट्रोपयोगी क्षमता उत्पन्न करती है, जिससे राष्ट्र सबल बन सके। ऐसे बालक राष्ट्र पर बोझ न बनकर के राष्ट्र की प्रगति में कन्धे से कन्धा मिलाकर चल सके।

बालकों में असमानताएँ शारीरिक, बौद्धिक एवं सांस्कारिक विषमताओं के कारण तो उत्पन्न होती है परन्तु घरेलू सामाजिक व व्यक्तिगत प्रवृत्तियों तथा वातावरण से प्रभावित होकर भी बालकों में असामान्यताएँ आ जाती हैं। यदि इन बालकों की क्षमता को पहचानकर इनके शैक्षिक वातावरण को अधिगम योग्य बनाया जाये तो वे निश्चित रूप से देश की प्रगति में साधक के रूप में प्रस्तुत हो सकते हैं। इतिहास में अनेक ऐसे दृष्टांत उपलब्ध हैं कि अक्षमता वाली असामान्यताओं के होते हुए व्यक्तियों ने चरम प्रगति की। उदाहरण के तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी0

रूजवेल्ट (1882–1945) मस्तिष्क कम्प वायु (Cerebral Paralysis) से पीड़ित होते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बन सके। थॉमस अल्वा एडीसन बहिरेपन से पीड़ित होते हुए भी वैज्ञानिक क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रतिभा को प्रदर्शित करते हुए विश्वव्यापी फोनोग्राफ तथा कार्बन विद्युत लैम्प का आविष्कार कर सके।

इससे स्पष्ट होता है कि मन्दबुद्धि का बालक अथवा शारीरिक असमर्थता से पूर्ण बालक अपने अनुरूप आवश्यक वातावरण पाकर प्रगति करने में समर्थ होता है और वह राष्ट्रोपयोगी सिद्ध होता है। इस प्रकार शिक्षा ही ऐसा साधन हो सकता है, जिससे असामान्य बालक की अक्षमताओं की पूर्ति करके सक्षमता का गुण उत्पन्न किया जा सकता है।

प्रस्तुत अध्ययन में कम्प्यूटर साइन्स के छात्र एवं छात्राओं के अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। ऐसा ही अध्ययन कला, वाणिज्य एवं विज्ञान वर्ग के समूह बनाकर किया जा सकता है। प्रस्तुत शोध केवल महाविद्यालयी विद्यार्थियों के अभिवृत्ति को जानने के लिए किया गया है। ऐसा ही शोध उच्च माध्यमिक विद्यालयों व प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों पर सम्भव हो सकता है। समावेशित शिक्षा के प्रति अभिभावकों व शिक्षकों की भागीदारी पर अध्ययन किया जा सकता है। प्रस्तुत अध्ययन को केवल लिंग के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। इसे कला वर्ग व विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों तथा ग्रामीण व शहरी विद्यार्थियों पर प्रस्तुत किया जा सकता है।

lUnHk xUFk lph

1. अग्निहोत्री रविन्द्र (1994) : ''आधुनिक भारतीय समस्याएँ और समाधान'' राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।
2. वेस्ट जॉन डब्ल्यू (1963) : ''रिसर्च इन एजूकेषन'', प्रिन्टिंग्स हॉल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली।
3. बुच, एम0वी0 : ''फिफ्थ सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजूकेषन'', एन. सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली।
4. सबके लिए षिक्षा (2000) : ''क्या विष्व प्रगति के पथ पर है'' षिक्षा मॉनीटरिंग रिपोर्ट यूनेस्को पब्लिषिंग।
5. गुप्ता एस0पी0 (2004) : ''सांख्यिकीय विधियाँ'', इलाहाबाद षाखा पुस्तक भवन।
6. एस0एस0ए0 : ''सर्वषिक्षा अभियान की मौलिक विषेषताएँ'', प्राइमरी षिक्षक, 2005
7. एस0एस0ए0, : ''सर्वषिक्षा अभियान की मौलिक विषेशताएँ'', प्राइमरी षिक्षक (30) 2005
8. तिलकराज, पंकज, : ''सर्वषिक्षा अभियान एवं प्राथमिक (जुलाई 2005) षिक्षा का सार्वभौमीकरण, प्राथमिक षिक्षक, 35
9. वरिश्ठ, कृशणकांत : ''गुणवत्तापरक षिक्षा और सर्वषिक्षा (जनवरी 2006) अभियान'', प्राथमिक षिक्षा, 55
10. ओड डॉ0 लक्ष्मीलाल : ''षिक्षा की दार्शनिक पृष्ठभूमि'', राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।